फैक्स / महत्वपूर्ण

संख्या–6,1-10/1–10–2015–14(15)/2009

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2– समस्त जेलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ : दिनॉक : 01 जून मई, 2015

विषयः राज्य आपदा मोचक निधि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्स्थापना हेतु मांगी जाने वाली धनराशि का प्रस्ताव भारत सरकार की नवीनतम संशोधित दरों/मानकों दिनांक 08.04.2015 के अनुसार ही प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह अवगत कराने का निदेश हुआ है कि शासन के पत्र संख्या–जी0आई0–07/1–11–2015–3(जी)/2015, दिनांक 09.04.2015 द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या–32–7/2014–एन0डी0एम0आई0, दिनांक 08.04.2015, जिसके द्वारा भारत सरकार ने राज्य आपदा मोचक निधि एवं राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से सहायता प्राप्त करने हेतु दरों एवं मानकों को संशोधित किया है, की छायाप्रति पूर्व में ही आपको उपलब्ध कराते हुये भारत सरकार के नवीनतम मानकों एवं दरों का पूर्णतः अनुपालन करने के निर्देश दिये जा चुके हैं।

2– इस सम्बन्ध में पुनः यह स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार के नवीनतम आदेश दिनांक 08.04.2015 द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि स्वीकृत किये जाने के लिये मानक/दरों का निर्धारण किया गया है जो दिनांक 01.04.2015 से प्रभावी है। भारत सरकार के उक्त आदेश में क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि दिये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार मानक निर्धारित किया गया हैः–

<u>प्रस्तर–10–</u> सड़कें एवं पुल, पीने के पानी के सप्लाई का कार्य, सिंचाई, विद्युत केवल सीमित एवं तात्कालिक प्रकृति के लिये प्रभावी क्षेत्रों में बिजली सप्लाई हेतु, स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पंचायतों से सम्बन्धित सामुदायिक केन्द्र क्षति के लिये तात्कालिक प्रकृति के कार्यों हेतु धनराशि स्वीकृत की जायेगी। यह भी उल्लेख करना है कि भारत सरकार के उक्त आदेश के संलग्नक में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि की सीमा भी निर्धारित की गयी है जिसके अनुसार किसी भी विभाग के कार्य के लिये उसके मापदण्ड के अनुसार अधिकतम 02.00 लाख तक की धनराशि ही निर्धारित की गयी है। उक्त के अतिरिक्त मरम्मत से सम्बन्धित अधिकांश कार्यों को राज्य आपदा मोचक निधि से आच्छादित नहीं किया गया है।

3– उक्त से स्पष्ट है कि भारत सरकार के नवीनतम मानक के आलोक में क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि दिये जाने का

अवसर लगभग समाप्त हो गया है। अतः पुनः अनुरोध है कि राज्य आपदा मोचक निधि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुर्नस्थापना हेतु मांगी जाने वाली धनराशि का प्रस्ताव भारत सरकार के नवीनतम दिशा–निर्देश दिनांक 08.04.2015 के संशोधित दरों/मानकों के अनुसार ही परीक्षणोपरान्त समुचित प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव कृषि, पशुपालन, मत्स्य, उद्यान, सिंचाई, लोक निर्माण, ऊर्जा, नगर विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, बेसिक शिक्षा, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, गन्ना विकास विभाग एवं पंचायतीराज को गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या–32–7/2014–एन0डी0एम0आई0, दिनांक 08.04.2015 की छायाप्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि भारत सरकार के दिशा–निर्देशों का अनुपालन करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

आज्ञा से,

(लीना जौहरी)
सचिव एवं राहत आयुक्त।